FORM NO 111

(नियम 133)

अज अदालत, उपखण्ड अधिकारी हनुमानगढ़ जिला हनुमानगढ़

अनवान :– संदीप कुमार बनाम हेतराम आदि

धारा :– 88, आर.टी.ए. मुकदमा नं0:– 107/2018

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय अनिशिल्ता जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुक्म की तारीख में जारी हुआ।
27.4.2018	अभिभाषक वादीगण द्वारा वाद–पत्र पेश किया गया। वाद कार्यालय टिप्पणी के प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर। प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन द्वारा तलब किया जावे। पत्रावली दिनांक 24.5.2018 वास्ते तलबी प्रतिवादीगण पेश हो।	
24.5.18	पत्रावली राजस्व लोक अदालत कैम्प रणजीतपुरा में पेश हुई। वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 3 स्वयं हाजिर आकर राजीनामा पेश किया जो बाद तस्दीक शामिल पत्रावली किया गया। प्रति. सं. 4 व 5 के हित पूर्ववत स्वतः हुई तलबी बन्द की जाती है। वाद पत्र मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है। विस्तृत निर्णय अलग से लिखकर सुनाया गया जो शामिल मिसल है। राजीनामा निर्णय व डिक्री का जुज रहेगा। पश्चात डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसला शुमार हो। आदेश सुनाया गया। सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी हनुमानगढ़	मनोज पवना देवी

Web Copy - Not Official
Scanned by CamScanner

कुक्कड़ी | 107/2018 | 21/5/2018 | 21/5/18 | 11

2

राजस्व लोक अदालत कैम्प रणजीतपुरा

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी(राजस्व)हनुमानगढ़।

नाम पीठासीन अधिकारीः—सुरेन्द्र पुरोहित(आर ए एस)
राजस्व वाद संख्या :—107/2018

संदीप कुमार पुत्र हेतराम जाति स्वामी निवासी मोहनमगरिया तहसील हनुमानगढ़।

———वादी।

बनाम

1. हेतराम पुत्र रामदास जाति स्वामी निवासी मोहनमगरिया तहसील हनुमानगढ 2. मनोज पुत्र हेतराम जाति स्वामी निवासी मोहनमगरिया तहसील हनुमानगढ 3. पवनादेवी पत्नी श्री देवीलाल पुत्री श्री हेतराम स्वामी निवासी 19 एस एस डब्ल्यू तहसील हनुमानगढ 4. शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक हनुमानगढ टाउन 5. तहसीलदार राजस्व हनुमानगढ।

—————प्रतिवादीगण।

अन्तर्गत धारा 88 राज.काश्तकारी अधि.

उपस्थितः—
1.श्री सुरेन्द्र सहारण, एडवोकेट—वादी।
2.श्री योगेश झोरड, एडवोकेट—प्रतिवादी संख्या 1 ता 3

दिनांकः 24.5.2018

<u>निर्णय</u>

पत्रावली राजस्व लोक अदालत कैम्प रणजीतपुरा न्याय आपके द्वार 2018 में पेश हुई । वाद पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी द्वारा पैतृक सम्पति में अपना जन्म से हक मानते हुऐ प्रतिवादी संख्या 1 हेतराम के नाम से चक 10 एन डी आर तहसील हनुमानग के खाता संख्या 60/50 में दर्ज 2.024 है. कृषि भूमि में से स्वयं एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 बहिस्सा बराबर प्रत्येक 1/3—1/3 खातेदार काश्तकार की घोषणा का वाद पत्र प्रस्तुत किया।

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 ने राजस्व लोक अदालत कैम्प रणजीतपुरा में स्वयं आकर राजीनामा पेश किया व मुताबिक राजीनामा वाद पत्र डिक्री करने का कथन किया। राजीनामा पक्षकारों को पढ़कर सुनाया गया जो स्वीकार करने पर बाद तस्दीक कर शामिल पत्रावली किया गया। प्रतिवादी संख्या 4 व 5 औपचारिक पक्षकार होने से उनके हित सुरक्षित रखते हुए तलबी बन्द की गई।

कैम्प में उपस्थित उभय पक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई जिन्होने वाद पत्र का कोई विरोध नही होने के कारण वाद पत्र मुताबिक राजीनामा वाद पत्र डिक्री कने पर सहमति दी। हमारे द्वारा राजस्व रिकार्ड का अवलोकन किया गया। वादग्रस्त आराजी चक 10 एन डी आर तहसील हनुमानग के खाता संख्या 60/50 में दर्ज 2.024 है. प्रतिवादी संख्या 1 वादी के पिता के नाम से दर्ज है। राजीनामा संलग्न पर्चा खतौनी 10 एनडीआर अनुसार प्रश्नगत रकबा जददी जयदाद होना साबित है। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 एक ही परिवार के सदस्य

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्डाधिकारी
हनुमानगढ़

Scanned by CamScanner

कुरूरगी	104/2018	21/5/2018	21/5/2017			11	

है तथा प्रतिवादीया संख्या 3 के हक परित्याग उपरांत मुताबिक राजीनामा प्रश्नगत आराजी प्राप्त कर रहे है जिसका कोई विरोध हमारे समक्ष नहीं आया है। अतः वादी का वाद पत्र लोक अदालत की भावना से मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाना उचित है। 3

आदेश

अतः वाद पत्र उपरोक्त विवेचन के आधार पर मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाकर चक 10 एन डी आर तहसील हनुमानगढ के खाता संख्या 60/50 में दर्ज 2.024 है. कृषि भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 के साथ वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 को 1/3–1/3 का खातेदार का तकार घोशित किया जाता है। उक्तानुसार वादी व प्रतवादी संख्या 2 का नाम प्रतिवादी संख्या 1 के साथ राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। पर्चा डिक्री जारी हो। राजीनामा निर्णय व डिक्री का जुज रहेगा। यदि प्रश्नगत रकबा बैंक रहन है तो ऋण चुकता का प्रमाण पत्र पेश करने पर अमल दरामद किया जावे। पत्रावली फैसला शुमार होकर दाखित दप्तर की जावे।

यह आदेश आज दिनांक 24.5.2018 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर न्यायालय मुद्रा से जारी किया गया।

सत्यमेव जयते

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
हनुमानगढ़

Web Copy - Not Official

Scanned by CamScanner

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी हनुमानगढ़ ।
लोक अदालत / कैम्प कोर्ट, रणजीतपुरा
पीठासीन अधिकारीः– सुरेन्द्र सिंह पुरोहित (आर.ए.एस.)

1 संदीप कुमार पुत्र हेतराम जाति स्वामी निवासी मोहनमगरिया तहसील हनुमानगढ़।

——वादी।

बनाम

1. हेतराम पुत्र रामदास जाति स्वामी निवासी मोहनमगरिया तहसील हनुमानगढ़ 2. मनोज पुत्र हेतराम जाति स्वामी निवासी मोहनमगरिया तहसील हनुमानगढ़ 3. पवनादेवी पत्नी श्री देवीलाल पुत्री श्री हेतराम स्वामी निवासी 19 एस एस डब्ल्यू तहसील हनुमानगढ़ 4. शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक हनुमानगढ़ टाउन 5. तहसीलदार राजस्व हनुमानगढ़।

————प्रतिवादीगण।

राजस्व वाद संख्याः– 107 / 2018

अन्तर्गत धारा 88 आरटीए निर्णय दिनांक 24.5.2018

पर्चा डिक्री

वादी की ओर से श्री सुरेन्द्र सहारण,एडवोकेट व प्रतिवादी की और से श्री योगेश झोरड एडवोकेट की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 24.5.2018 को दावा मेरे समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि वाद पत्र मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाकर चक 10 एन डी आर तहसील हनुमानगढ़ के खाता संख्या 60 / 50 में दर्ज 2.024 है. कृषि भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 के साथ वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 को 1/3 व 1/3 का खातेदार का तकार घोशित किया जाता है। उक्तानुसार वादी व प्रतवादी संख्या 2 का नाम प्रतिवादी संख्या 1 के साथ राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। पर्चा डिक्री जारी हो। राजीनामा निर्णय व डिक्री का जुज रहेगा। यदि प्रश्नगत रकबा बैंक रहन है तो ऋण चुकता का प्रमाण पत्र पेश करने पर अमल दरामद किया जावे।

खर्चा पक्षकारान अपना –अपना वहन करेगे।

यह आज यह डिक्री 24.5.2018 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

सहायक अधिकारी
एवं सहायक कलक्टर
हनुमानगढ़

उपखण्ड अधिकारी
हनुमानगढ़

Scanned by CamScanner